संख्या- 4817 /दो-6-2014...

संख्या- 1913/47-का-3-2014-9/10/2008टी.सी.II

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

महानिदेशक,
उ.प्र. प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांकः 19 अगस्त, 2014

विषयः- स्टेट ऑफ आर्ट सिग्नेचर बिल्डिंग-डा. राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के प्रस्तावित निर्माणार्थ वास्तुविद फर्मस(कन्सल्टेंट्स) के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (ल.अ.-1) उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., लखनऊ के पत्र संख्या-188/म.प्र.(ल.अ.-1)/कैम्प-सिग्नेचर/रा.नि.नि./2014 दिनॉक 24.07.2014, जो आपको भी आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त वर्णित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. के पत्र में वास्तुविद सलाहकार को रूपये 30.00 लाख के अंतरिम भुगतान पर विचार करने की संस्तुति की गयी है तथा इतनी धनराशि इस हेतु व्यय करने हेतु अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया है।

3. उक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-1/23/47-का-3/2014-9/10/2008टी.सी. II दिनॉक 03.01.2014 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-15/99/47-का-3/2014-9 /10/2008टी.सी. II दिनॉक 03.02.2014 तथा शासनादेश संख्या-464/47-का-3/2014-9/10/2008टी.सी. II दिनॉक 25.03.2014 के क्रम में आपसे यह कहने का मुझे निदेश हुआ है कि प्रस्तावित डा. राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के भवन निर्माण के लिये कन्सलटेंसी फीस के निर्धारण हेतु लोक निर्माण अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-560ईजी/23-5-13-5-24ई.जी./13 दिनॉक 11 जून, 2013 के प्रस्तर-2(1) में सिग्नेचर बिल्डिंग हेतु बाह्य वास्तुविद की सेवायें लिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया का प्राविधान है :-

"प्रदेश में भवन/परियोजनाओं हेतु बाह्य वास्तुविद की सेवायें लेने पर वास्तुविद को परियोजना लागत का 1.0 प्रतिशत (सर्विस टैक्स सहित) कन्सलटेंसी फीस के रूप में देय होगा। आर्कीटेक्ट द्वारा परियोजना निर्माण अवधि में कार्य स्थल का निरीक्षण किया जाता रहेगा। स्ट्रक्चरल डिजाइन हेतु 0.5 प्रतिशत (सर्विस टैक्स सहित) की धनराशि फीस के रूप में देय होगी।"

19/8/14

4. उक्त प्राविधान के आलोक में तथा उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. द्वारा की गयी संस्तुति पर विचार करते हुये कार्यदायी संस्था उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. द्वारा बाह्य वास्तुविद की सेवायें लेने पर अनुमन्य कन्सलटेंसी फीस की सीमा में रहते हुये उपरोक्त आदेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 1.00 करोड़ में से संबंधित वास्तुविद को रूपये 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) प्रबंध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. लखनऊ को नियमानुसार पूर्ण मितव्ययिता बरतते हुये व्यय किये जाने हेतु शासन द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1913(1)/47-का-3-2014-9/10/2008टी.सी.II तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
3. विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 उ.प्र. शासन।
5. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि. लखनऊ को महाप्रबंधक (लं.अ.-1) के पत्र संख्या-188/म.प्र.(ल.अ.-1)/कैम्प-सिग्नेचर/रा.नि.नि./2014 दिनॉक 24.07.2014 के संदर्भ में।
6. मेसर्स आर्कोप एसोसियेट्स प्रा. लि. ई-15-पम्पोस इन्क्लेव ग्रेटर कैलाश-1 नई दिल्ली-48
7. नियुक्ति अनुभाग-6 उ.प्र. शासन को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक)
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।